भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अ**तारांकित प्रश्‍न संख्या **958**

**25** जुलाई, **2018** को उत्तर दिए जाने के लिए

**हथकरघा बुनकरों पर जीएसटी का प्रभाव**

**958. श्री संजय सिंह:**

क्या वस्‍त्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा और कच्चे माल पर वस्तु और सेवा कर लगाये जाने के कारण हथकरघा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 4.3 मिलियन हथकरघा बुनकरों को मूल्य लाभ और कर राहत उपलब्ध नहीं कराने और उन्हें विद्युतकरघे के समान स्तर पर रखने के पीछे का औचित्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पाद पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने से बुनकरों को छूट देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

**वस्‍त्र राज्य मंत्री**

**(श्री अजय टम्टा)**

(क)से (घ) वस्तुओं और सेवाओं पर विविध करों को तर्कसंगत बनाने और कराधान प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया है । तदनुसार, यह हथकरघा सहित वस्त्र क्षेत्रों पर भी लागू होता है । अधिकांश बुनकरों का टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होता और इसीलिए उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण से छूट है । जीएसटी को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जिसमें राज्यों की भारत सरकार के साथ जीएसटी परिषद् में समान भागीदारी है ।

\*\*\*\*